



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



IN-UP03411323869974V

3614

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP03411323869974V
Certificate Issued Date	: 02-Sep-2023 11:25 AM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14365804/ ZAMANIA/ UP-GZP
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1436580402421955485435V
Purchased by	: ADHYAKSH SITARAM MEMORIAL TRUST BAGHARI ZAMANIA
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: SACHIV PRAVIDHIK SHIKSHA PARISAD U P LUCKNOW
Second Party	: ADHYAKSH SITARAM MEMORIAL TRUST BAGHARI ZAMANIA
Stamp Duty Paid By	: ADHYAKSH SITARAM MEMORIAL TRUST BAGHARI ZAMANIA
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

Enter to Notary Register  
 At Serial No. 3470  
 Dated 02/09/23



Signature  
 ACC Name Jay Prakash Prajapati  
 ACC Code Up14365804  
 ACC ADDRESS: TAHSIL ZAMANIA  
 MOBILE NO. 9651174413  
 LICENCE NO. 81  
 DISTRICT- GHAZIPUR (U.P.)

**NOTARY**  
 TEH. ZAMANIA, DIST. GHAZIPUR

**NOTARY**  
 Jay Prakash Prajapati  
 02.09.23

1. The authenticity of this stamp certificate should be verified at 'http://india03stamp.gov' or using e-Stamp Mobile App of State Revenue  
 Any discrepancy in the Certificate will be notified on the website / Mobile App mandatorily if needed  
 2. To check or confirm the legitimacy of the users of the certificate  
 3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

(प्रारूप-"अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

अमानातदार

राजकुमार शिंदे

हम (नाम अध्यक्ष) एवं (नाम सचिव) कमरा: अध्यक्ष एवं

सचिव (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान

करते हैं - सिताराम मेमोरियल ट्रस्ट वपरी अमानिया गाजीपुर

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा (संस्था का नाम एवं पता) वपरी अमानिया गाजीपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम (पता जहां पर भूमि स्थित है) वपरी अमानिया गाजीपुर में गाटा संख्या 573 एवं रकबा कमरा: 573 (0.8/0.8) एवं हेक्टेयर (कुल रकबा 1.832 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 573 एवं रकबा कमरा: 0.8/0.8 एवं हेक्टेयर (कुल रकबा 1.832 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 20/7, 2020 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।



8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटचिंत अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० सचिव

*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*  
ह० अध्यक्ष

